236.36 million tonnes. The year-wise actual production has been as under:

Year	Production (Million tonnes)
1991-92	253.99
1992-93	228.03
1993-94	227.06

(d) and (e) The target of sugarcane production for 1994-95 was fixed at 250 million tonnes; against which the production is now estimated at 250.21 million tonnes.

(f) In view of the answer given in part (a), question does not arise.

खाद्यान्नों का उत्पादन

4058. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1994–95 में देश का खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 186 35 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है, यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि खाद्यान्नों का यह उत्पादन इसी अवधि के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्य की तुलना में कम है ;

(ग) यदि हा, तो खाद्यान्न उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(घ) क्या सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहने के कारणों का पता लगाया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके निवारण के लिये सरकार की भावी योजना क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1994–95 हेतु खाद्यान्नों के उत्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य 189.0 मिलियन टन है ।

(घ) और (ङ) खाद्यान्न उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहने के कारणों में से एक मोटे अनाज उत्पादन करने वाले राज्यों में प्रतिकूल वर्षा और मौसम स्थितियां हैं । इसके कारण मोटे अनाज के उत्पादन में 1992–93 में अधिप्राप्त लक्ष्यों में लगभग छः मिलियन टन की कमी हुई ।

खाद्यान्नों की उत्पादकता और उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिये, फसलोन्मुख उत्पादन कार्यक्रमों अर्थात समेकित अनाज विकास कार्यक्रम–चावल, गेहूं, और मोटे अनाज और राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है । इसके अलावा, कम खपत वाले क्षेत्रों में उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये तथा फसलों के उत्पादन में सुधार लाने के लिये सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कार्यक्रम भी क्रियान्वित किये जा रहे हैं ।

खाद्यान्नों के उत्पादन हेतु लक्ष्य

4059. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1995-96 हेतु खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न खाद्यान्नों हेतु क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ ऐसे खाद्यान्न हैं, जिनका उत्पादन देश की आवश्यकता से काफी अधिक है ;

(घ) यदि हां, तो उन खाद्यान्नों के नाम क्या हैं और ऐसे खाद्यान्नो के नाम क्या हैं जिनका उत्पादन देश की आवश्यकता की तुलना में काफी कम किया जाता है;

(ङ) क्या सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करते समय ऐसे खाद्यान्नों के उत्पादन के और अधिक उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये हैं, जिनका उत्पादन आवश्यकता से काफी कम किया जाता है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिये जाने और सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1995–96 के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों के लिये निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं:—

फसल	लक्ष्य (मिलियन मीटरी टन)
1.चावल	80.0
2. गेहूं	60.0
3. मोटे अनाज	36.5
4. दलहन	15.5
कुल खाद्यान्न :	192.0

(ग) और (घ) देश में अनाजों का उत्पादन स्वदेशी जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त है और निर्यात के लिये इसकी कुछ अतिरेक मात्रा भी उपलब्ध है । तथापि, दलहनों का उत्पादन मांग की तुलना में कुछ कम है ।

(ङ) और (च) उत्पादन के लक्ष्य विभिन्न खाद्यान्नों सहित कृषि जिसों की मांग और आपूर्ति के संतुलन को ध्यान में रखते हुये निर्धारित किये जाते हैं। उपलब्धि, के विद्यमान स्तर की अपेक्षा दलहनों के उत्पादन के लक्ष्यों में वृद्धि अन्य खाद्यान्नों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है ।

खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये फसलोन्मुखी उत्पादन कार्यक्रम अर्थात एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम/चावल, गेहूं, और मोटे अनाज तथा राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं । इसके अलावा, कम खपत वाले क्षेत्रों में उर्वरक के प्रयोग और सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार के कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे है ताकि फसलों के उत्पादन में सुधार किया जा सके ।

Registration Committee of Insecticides Act

4060. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the names of the parties and products, serial-wise who have been granted registration by the Registration Committee U/S 9 (3B) of the Insecticides Act;

(b) what are the details of Neem based and Bio-pesticides with purity percentage and their formulations approved by the Registration Committee for registration, serial-wise;

(c) what are the norms laid down by the Registration Committee for re- of repeat registration of insecticides;

(d) what are the names of the parties and products who have been granted repeat registration as referred in part 'C' above; and